न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़ , तहसील :सगड़ी
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202315060705733
वाद संख्या:- 5733/2023
मुक्तिनाथ एजुकेशनल जन सेवा ट्रस्ट बनाम ग्राम पंचायत
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 11/08/2023

निर्णय

कृषि कार्य से भिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत के उपयोग की उद्घोषणा हेतु मुक्तिनाथ एजुकेशनल जन सेवा ट्रस्ट प्रबन्धक अमित कुमार पुत्र बाबूराम, निवासी ग्राम रामदत्तपट्टी, परगना गोपालपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ द्वारा आर0सी0 प्रपत्र-25 उ0प्र0रा0सं0, 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत ग्राम मौजा टीकर पैठान, परगना गोपालपुर, तहसील सगड़ी स्थित खतौनी सन् 1428-1433 फसली के खाता सं0-10 के आराजी नम्बर-120 क्षेत्रफल 1.334 हे0 के आंशिक रक्बा 0.667 हे0 के सम्बन्ध में दिनांक 01.07.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि वह उक्त भूखण्ड का सह संक्रमणीय भूमिधर है तथा उक्त भूखण्ड पर मिट्टी पाटकर पीलर बना दिया गया है जो अकृषिक प्रकृति का हो चुका है। प्रस्तुत आवेदन पत्र के माध्यम् से आवेदक ने आराजी नम्बर-120 के आंशिक क्षेत्रफल 0.667 हे0 को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय हेतु आहूत नायब तहसीलदार सगड़ी की संस्तुति दिनांक 14.07.2023 के साथ प्राप्त तहसील स्तरीय अधीनस्थों की जॉच आख्या में आवेदक के आवेदन पत्र में उल्लिखित कथानकों को प्रमाणित पाते हुए यह रिपोर्ट दी गयी है कि आवेदक, आवेदित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है तथा उक्त भूखण्ड न तो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और न हीं इसके सम्बन्ध में किसी न्यायालय में मुकदमा ही विचाराधीन है। साथ ही साथ प्रस्तावित् भूखण्ड के सम्बन्ध में न तो धारा 133 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद ही हुआ और न हीं उक्त गाटा किसी महायोजना में ही प्रस्तावित है। आवेदक द्वारा जो0च0आ0पत्र 41, 45 की प्रति व प्रस्तावित भूखण्ड के मौके का नजरी नक्शा व छाया चित्र संलग्न करते हुए उक्त भूमि गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

प्रश्नगत् आवेदन पत्र निस्तारणार्थ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। विचारणीय प्रकरण के विधि सम्मत निस्तारण हेतु पत्रावली में संलग्न जॉच आख्याओं का सम्यक् अवलोकन, परिशीलन एवं परीक्षण किया गया। प्रश्नगत् प्रकरण में तहसील स्तरीय जॉच आख्याओं के अनुसार प्रस्तुत आवेदन पत्र यथार्थ एवं प्रमाणित पाया गया। साथ ही साथ जॉच आख्याओं में यह भी उल्लिखित किया गया है कि धारा-80(1) उ0प्र0रा0 संहिता-2006 में कृषि कार्य से भिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत के उपयोग की उद्घोषणा हेतु आवेदक द्वारा सभी शर्तें शत-प्रतिशत पूर्ण की गयी हैं तथा आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016के नियम 85 उप नियम-02के विहित प्राविधान के प्राविधान

-2-

जिला कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत रूपया 25,346.00 दहाई पूर्णांक रूपया 25,350.00 मात्र ट्रेजरी चालान संख्या-06 दिनांक-25.07.2023 के माध्यम से जमा कर भारतीय गैर न्यायिक ई-स्टाम्प जमा किया गया है। साथ ही साथ प्रश्नगत् मामले में सहखातेदारानों द्वारा दिनांक 25.07.2023 को आवेदक द्वारा भूखण्ड सं0-120 में आवेदित क्षेत्रफल 0.667 हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने के समर्थन में नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से अनापत्ति भी प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न पत्रावली हैं। वर्णित परिस्थितियों में आवेदित भूखण्ड को उ0प्र0रा0संहित-2006 की धारा-80(1) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उ0प्र0रा0संहिता-2006 की धारा-80(1) में विहित प्राविधान के दृष्टिगत् नायब तहसीलदार, सगड़ी एवं तहसील स्तरीय अधीनस्थों की जांच आख्या के आधार पर मौजा टीकर पैठान, परगना गोपालपुर, तहसील सगड़ी स्थित खतौनी सन् 1428-1433 फसली के खाता सं0-10 के आराजी नम्बर-120 क्षेत्रफल 1.334 हे0 के आंशिक रक्बा 0.667 हे0 जिसमें आवेदक बतौर सह खातेदार अंकित है, अकृषिक/वाणिज्यिक कार्य में

प्रयोग की जा रही है, जिसे अकृषिक एवं मा0गु0 60ख के अनुसार सशर्त भू-राजस्व रहित भूमि घोषित किया जाता है, क्योंकि यदि आवेदक द्वारा किसी तथ्य को छिपाकर यह आदेश प्राप्त किया पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः प्रारम्भतः शून्य माना जायेगा। यह आदेश किसी प्रकार के मुआवजा धनराशि आवंटन हेतु प्रभावी नहीं होगा। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रमाणित प्रति उप निबंधक सगड़ी तथा एक प्रति तहसीलदार सगड़ी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार (माल) में संचित हो।

दिनांक-11.08.2023

(डा0 अतुल गुप्ता),

उप जिलाधिकारी-सगड़ी

आजमगढ़।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"